# उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–40/2018–19

राजकुमार साह एवं अन्य

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

## —: आदेश :—

दिनांक

13/04/22

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता राजकुमार साह वो दिलीप साह वो हेमन्त साह वो श्रवण साह, पेसरान–स्व0 रामू साह, सा0–चपरी, थाना–ठाकुरगंगटी, अनुमंडल–महागामा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–109/2016–17 के आदेश दिनांक–06.04.2018 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आर0ई0आर0 केश नं0–109/2016–17 के आदेश दिनांक–06.04.2018 के द्वारा अपीलकर्त्तागण को मौजा–चपरी नं0–93 जमाबंदी सं0–28 के दाग नं0–382 रकवा 00–03–00 धुर जमीन से उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी द्वारा समर्पित किये गये जाँच प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया। चूँकि अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी ने दिनांक–10.06.2016 को समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया था कि अपीलकर्त्ता राजकुमार साह एवं अन्य अपीलवाद जमीन पर चालीस वर्ष पूर्व से मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहे हैं। उन्हें वासगीत पर्चा के द्वारा रकवा 00–03–06 धुर जमीन प्राप्त हुआ है तथा वासगीत पर्चा के आधार पर अपीलकर्त्तागण के नाम से नामांतरण भी हो गया है और मालगुजारी का भुगतान कर अपीलकर्त्तागण के द्वारा मालगुजारी रसीद भी प्राप्त किया जा रहा है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्तागण को अपीलवाद जमीन बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति अधिनियम के तहत वासगीत पर्चा के द्वारा प्राप्त है। इस प्रकार अपीलकर्त्तागण के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन नहीं किया है। माननीय उच्च न्यायालय का भी अनेकों निर्णय है कि वासगीत भूमि से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20/42 के

तहत उच्छेद नहीं किया जा सकता है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्तागण की ओर से अपील आवेदन के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत विलम्ब का कारण दर्शाते हुए आवेदन दिया गया है। अपील आवेदन में दिये गये तथ्यों के आलोक में उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया।

उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–चपरी नं0–93 जमाबंदी सं0–28 रकवा 10–10–07 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में पहलू चमार वो टुनू चमार, पे0–पाचू चमार के नाम से दर्ज है। उक्त जमीन उत्तरवादी की पैतृक जमीन है। अपीलकर्त्तागण ने धोखाघड़ी से जबरन उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–283 रकवा 00–03–00 धुर जमीन कब्जा किया है। लेकिन अपीलकर्त्तागण को उक्त जमीन कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि उत्तरवादी अनुसूचित जाति के है तथा उक्त जमीन उत्तरवादी का पैतृक जमीन है और उक्त जमीन कृषि योग्य जमीन है। उक्त जमीन की प्रकृति को कृषि योग्य जमीन से गैर कृषि योग्य जमीन में कभी भी बदला नहीं जा सकता है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के पत्रांक –558/रा0 दिनांक–31.08.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा–चपरी नं0–93 जमाबंदी नं0–28 दाग नं0–382 कुल रकवा 02–18–16 धुर जमीन पर्चा में पहलू चमार व टुनू चमार के नाम से दर्ज है। उक्त मौजा के जमाबंदी नं0–28 के दाग नं0–382 के अन्तर्गत 00–03–06 धुर जमीन अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के पी0पी0 केश नं0–35/89–90 के द्वारा वासगीत पर्चा प्रदान किया है। वासगीत पर्चा में जमीनदाता रामदास रविदास, पे0–टुनू रविदास साकिन–चपरी द्वारा कौशल्या मोसमात, पति–स्व0 रामु साह, साकिन–चपरी को प्रदान की गई जमीन 00–03–06 धुर का जिक्र किया गया है। कौशल्या मोसमात, पति–स्व0 रामु साह, राजकुमार साह के माता–पिता है। उक्त पट्टा के आधार पर कौशल्या मोसमात, पति–स्व0 रामु साह का पंजी–2 में दर्ज है एवं मालगुजारी वर्ष 2013–14 तक वसूल है। वर्णित दाग नं0–382 पर वादी राजकुमार साह की माता कौशल्या देवी, पति–रामु साह के नाम से बी0एम0एस0 इंदिरा आवास योजना संख्या

–19/99–2000 प्राक्कलित राशि 20,000.00 रू0 द्वारा आवास निर्माण कार्य किया गया है। वर्तमान समय में राजकुमार साह का उक्त खेसरा पर चार कमरे पक्के का मकान निर्मित है। वर्णित खेसरा नं0–382 की जमीन 00–03–10 धुर का पंचनामा दिनांक–01.07.1972 को किया गया था, जिसके आधार पर वासगीत पर्चा प्रदान किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं उभय पक्ष की ओर से दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–चपरी नं0–93 जमाबंदी नं0–28 कुल रकवा 10–10–07 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में पहलू चमार वो टुनू चमार, पे0–पाचू चमार के नाम से दर्ज है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–382 के रकवा 00–03–00 धुर जमीन से अपीलकर्त्तागण को उच्छेद किया गया है। अपीलकर्त्तागण के द्वारा उक्त दाग नं0–382 के अन्तर्गत रकवा 00–03–06 धुर जमीन बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति अधिनियम के तहत वासगीत पर्चा से प्राप्त करने का दावा किया गया है। जबकि उक्त जमाबंदी की जमीन पहलू चमार वो टुनू चमार के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि उक्त जमीन जमाबंदी के अन्तर्गत की रैयती जमीन है। रैयती जमीन का संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि गत खतियानी के रैयत वंशज प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति के श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। ऐसी स्थिति में वासगीत पर्चा के आधार पर हस्तांतरण नियमानुकुल प्रतीत नहीं होता है। अतएव निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–109/2016–17 में दिनांक–06.04.2018 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है। अभिलेख जिला अभिलेखागार, गोड्डा में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

13/04/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

13/04/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.11.21 16:49:05 +05:30
Location: 172.17.208.1